बिहार सरकार

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

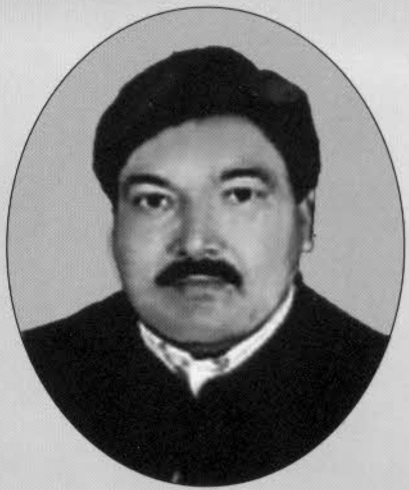

वार्षिक प्रतिवेदन : 2017-18

कार्यक्रम : 2018-19

बिहार सरकार

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

वार्षिक प्रतिवेदन

वार्षिक प्रतिवेदन : 2017-18

कार्यक्रम : 2018-19

सारण जिला में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना अंतर्गत ऋण वितरण समारोह में भाग लेते हुए माननीय श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज़ अहमद, माननीय मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम, पुलिस अधीक्षक, सारण, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदा० सारण एवं अन्य ।

विषय-सूची

अध्याय	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग : एक झलक	04
2.	राज्य योजनाएं 1. अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण योजना 2. अल्पसंख्यक छात्रावास के आधुनिकीकरण/रख–रखाव की योजना 3. मुफ्त कोचिंग योजना 4. जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी का कार्यालय/आवास भवन का निर्माण 5. अल्पसंख्यक मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला हेतु सहायता योजना 6. मुख्यमंत्री श्रमशक्ति योजना 7. मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना 8. मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना 9. मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक शिक्षा ऋण योजना	06
3.	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से संबद्ध संस्थाएँ 1. बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग 2. प्रधान मंत्री 15–सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य–स्तरीय समिति 3. बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड 4. बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड 5. बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम 6. बिहार राज्य हज समिति	15
4.	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से सहायता अनुदान प्राप्त संस्थाएँ 1. बिहार उर्दू अकादमी 2. अंजुमन तरक्की उर्दू, बिहार	17
5.	केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएँ 1. अल्पसंख्यक मेधा–सह–आय आधारित तकनीकी एवं व्यवसायिक छात्रवृति योजना 2. अल्पसंख्यक माध्यमिकोत्तर (पोस्ट मैट्रिक) छात्रवृति योजना 3. अल्पसंख्यक पूर्व माध्यमिक (प्री–मैट्रिक) छात्रवृति योजना 4. अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों के लिए अल्पसंख्यकों के बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम (MSDP)	21
6.	सुशासन के कार्यक्रम	24

अध्याय-1

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग : एक झलक

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का प्रमुख कार्य अल्पसंख्यकों के सर्वांगीण विकास एवं कल्याणार्थ कार्य योजनाएं तैयार करना तथा उसका कार्यान्वियन एवं अनुश्रवण करना है। अन्य विभागों द्वारा कार्यान्वित योजनाओं में अल्पसंख्यकों को भी लाभान्वित किया जाता है, परन्तु अल्पसंख्यकों के सर्वांगीण विकास के लिए विशेष योजना बनाना इसी विभाग का दायित्व है।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग अन्तर्गत प्रधान सचिव/सचिव, विशेष सचिव, दो संयुक्त सचिव, दो उप सचिव तथा दो अवर सचिव का पद स्वीकृत है। इस विभाग के अधीन कुल 08 प्रशाखा पदाधिकारी तथा एक प्रशाखा पदाधिकारी-सह-वक्फ विकास पदाधिकारी का पद स्वीकृत है। वर्ष 2012 से अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय गठित है। अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय में निदेशक का पदस्थापन किया जा चुका है। निदेशालय में पाँच सहायक निदेशक का भी पदस्थापन किया गया है। सभी जिलों में एक-एक जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के पद सृजित किए गये है तथा सभी जिलों में इनका पदस्थापन किया गया है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय हेतु एक उच्चवर्गीय लिपिक, दो निम्नवर्गीय लिपिक तथा एक-एक कार्यालय परिचारी के पदों का सृजन किया गया है एवं कई जिलों में इनका पदस्थापन किया गया है। निम्नवर्गीय लिपिक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार कर्मचारी चयन आयोग के स्तर से कार्रवाई की जा रही है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालयों के स्वतंत्र भवन निर्माण की कार्रवाई प्रारंभ की गई है। साथ ही प्रत्येक जिले मे जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के आवास निर्माण की कार्रवाई भी की जा रही है।

सरकार ने न्याय के साथ विकास का लक्ष्य रखा है। विकास के कार्यक्रमों को सुचारू रूप से लागू करने हेतु बजट का पर्याप्त प्रावधान कराना आवश्यक होता है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का बजट वर्ष 2005 के पूर्व की अवधि में नगण्य हुआ करता था। वर्ष 2004-05 में अल्पसंख्यक क्ल्याण विभाग का कुल व्यय केवल 3 करोड़ 45 लाख रुपये था जो वर्ष 2017-18 में बढ़कर 301.03 करोड़ रुपये (दिनांक 28.02.2018 तक) पहुँच गया है।

तालिका- 1 : अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का योजना व्यय

(राशि लाख रुपये में)

वित्तीय वर्ष	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का योजना व्यय
2012-13	16728.32
2013-14	18306.22
2014-15	32155.14
2015-16	50862.19
2016-17	43152.85
2017-18	30103.00 (दिनांक 28.02.2018 तक)

तालिका- 2 : विभाग का प्रस्तावित योजना कार्यक्रम: 2018-19

(क) राज्य योजना **(राशि लाख रुपये में)**

क्र०सं०	योजना का नाम	योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध
1	अल्पसंख्यक छात्रावस निर्माण (मांग-03 में)	1200.00
2	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम को राज्य की ओर से हिस्सा पूँजी	0.00
3	मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना एवं अल्पसंख्यक वित्तीय निगम को राज्य का शेष हिस्सा पूँजी (Share Capital)	10800.00
4	मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना	5100.00
5	लोक सेवा आयोग आदि की तैयारी हेतु कोचिंग	500.00
6	वक्फ सम्पत्ति के रख-रखाव, सुरक्षा तथा संवर्द्धन	1000.00
7	वक्फ सम्पत्ति के विकास हेतु वक्फ बोर्ड की रिवालविंग फंड के रूप में अनुदान	4000.00
8	मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला हेतु सहायता योजना	200.00
9	मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना	800.00
10	अल्पसंख्यक समुदाय के महानुभावों के नाम से भवन निर्माण (मांग-03 में)	200.00
11	अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण (मशीनरी एवं उपस्कर)	200.00
12	मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक शिक्षा ऋण योजना	0.00
13	अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय-कार्यालय भवन निर्माण (मांग-03 में)	200.00
14	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग आवासीय भवन निर्माण (मांग-03 में)	200.00
15	अल्पसंख्यक भवन-सह-हज हाऊस का निर्माण	100.00
	नई राज्य स्कीम	
1	बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना	2500.00
2	पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	2200.00
3	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना (मांग-03 में)	500.00
4	अल्पसंख्यक कल्याण अंतरपूर्ति योजना	300.00
	राज्यांश की राशि	
1	अल्पसंख्यकों के बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम हेतु राज्यांश	2500.00
2	अल्पसंख्यकों के बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम हेतु राज्यांश (मांग-03 में)	1500.00
	कुल योग	**34000.00**

(ख) केन्द्र प्रायोजित योजना/केन्द्रीय योजनागत योजना **(राशि लाख रुपये में)**

क्र०सं०	योजना का नाम	बजट प्रावधान
1.	अल्पसंख्यकों के बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम	
	(i) प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	100.00
	(ii) पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	
	(iii) मेरिट-कम-मिन्स छात्रवृत्ति	
	(iv) अल्पसंख्यकों के बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम (एम0एस0डी0पी0)	13400.00 (मांग-03 के 3100.00 सहित)
	कुल योग	13500.00